रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 21 फरवरी, 1990/2 फाल्गुन, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 फरवरी, 1990

संख्या गृह (ए) एफ (12)-5/87-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आयुध नियम, 1962 के नियम 54 के साथ पठित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० ए० एस० आर० 52 (ई), तारीख 24 जनवरी, 1989 द्वारा यथा प्रतिस्थापित आयुध नियम 1962, की अनुसूची II के स्तम्भ 7 के सामने स्तम्भ 4 की मद 3 के अधीन दर्शित प्रविष्टि (II) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में और इस निमित उसे सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेटों को, उक्त अनुसूची II के स्तम्भ 2 के सामने विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, अनुसूची-I को (ड), III, 5 और 6 प्रवर्गों में विनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के लिए, समस्त राज्य या किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों की बाबत, नवीनकरण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए विशेष रूप से सशक्त करते है।

आदेश द्वारा,
पी० टी० वांगडी,
वित्त आयुक्त और सचिव गृह।

535-राजपत्र/90-21-2-90—1,184.

मूल्य : 1.00 रुपया।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 12 फरवरी, 1990

संख्या पी0 पी0 एच0-एच0 एए0 (5) 136/76.—क्योंकि श्री बलदेव राज प्रधान, ग्राम पंचायत पण्डोह, विकास खण्ड, मण्डी सदर, जिला मण्डी के विरुद्ध यह आरोप था कि उन्होंने सर्वश्री लवण कुमार व लगण कुमार ठाकुर सुपुत्र श्री नरपत राम, निवासी मुख्य बाजार पण्डोह को अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु झूठा प्रमाण-पत्र दे कर 5500/- रुपये की किस्त जिलाधीश, मण्डी से दिलवाने की चेष्टा की है एवं जिस आधार पर कार्यालय पत्र संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 एए0 (5) 136/76, दिनांक 30-11-1988 द्वारा जारी आदेश के अन्तर्गत उनके विरुद्ध जांचार्थ अतिरिक्त जिलाधीश, मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ;

क्योंकि उपरोक्त जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसके ध्यानपूर्वक अध्ययन से श्री बलदेव राज प्रधान के विरुद्ध उपरोक्त ढंग से झूठा प्रमाण-पत्र जारी करने का आरोप सिद्ध होता है ;

एवं क्योंकि सर्वश्री लवण कुमार एवं लगण कुमार उपरोक्त द्वारा उक्त 5500/- रुपये की ऋण राशि ब्याज सहित उपायुक्त, मण्डी के पास जमा करवा दी जा चुकी है ।

अतः उक्त श्री बलदेव राज प्रधान, ग्राम पंचायत, पण्डोह झूठा प्रमाण-पत्र जारी करकर के अपने पद की गरिमा को गिराया है एवं इसका दुरुपयोग किया है, जिसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 की उप-धारा (2-ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बलदेव राज प्रधान, ग्राम पंचायत पण्डोह को सचत करत हैं, कि वह भविष्य में अपने पद का दायित्व भलि-भांति निभाएं एवं इस सम्बन्धी कोई अवहेलना अथवा, कुकृत्य न करें।

हस्ताक्षरित/
अवर सचिव ।

व अदालत श्री बी0 एस0 चौहान, जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश उप-मण्डल स्तर तथा जिला स्तर पर पब्लिक नोटरी नियुक्ति करने हेतु जेर धारा 6(2) आफ पब्लिक नोटरी अधिनियम, 1956 ।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिवक्ताओं ने पब्लिक नोटरी की नियुक्ति हेतु इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिय हैं । पब्लिक नोटरी उप-मण्डल स्तर तथा जिला स्तर पर नियुक्त होने ह । अतः साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें निम्नलिखित अधिवक्ताओं के पब्लिक नोटरी चुने जाने के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें । इसके पश्चात् कोई आपत्ति नहीं सुनी जाएगी:—

1. श्री अवतार चन्द डोगरा, अधिवक्ता, हमीरपुर ।
2. श्री वासुदेव शर्मा, अधिवक्ता, हमीरपुर ।
3. श्री राम दास कौण्डल, अधिवक्ता, हमीरपुर ।
4. श्री सुरेश मुसाफिर, अधिवक्ता, हमीरपुर ।
5. श्री सीता राम चमन, अधिवक्ता, हमीरपुर ।
6. श्री सरेन्द्र लाल शर्मा, अधिवक्ता, हमीरपुर ।
7. श्रीमती सुशील कुमारी परमार, अधिवक्ता, हमीरपुर ।
8. श्री पी0 एस0 राणा, अधिवक्ता, हमीरपुर ।

आज दिनांक 2-2-1990 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया ।

मोहर ।

बी0 एस0 चौहान,
जिला दण्डाधिकारी,
हमीरपुर ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।